

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। इन्हें नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 05.11.2016 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान स्थानान्तरित कार्मिक को यथासमय कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक तथा लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। प्रतिबन्धित जिला/टीएसपी एरिया में कार्यरत कार्मिकों का अप्रतिबन्धित जिला/नॉन टीएसपी एरिया में स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। कार्मिक का पद भिन्न अंकित होने पर भी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों का शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। उक्त कारणों से कार्यमुक्त नहीं किए जाने वाले कार्मिकों की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित की जाए। स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्ति पश्चात् अविलम्ब कार्यग्रहण करें।

विद्यालय में कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण अनिवार्यतः शाला दर्पण के माध्यम से करावें। कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।



(रतन सिंह यादव)

उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक:- शिउनि/जय/मा/संस्था-1बी/फा-स्थानान्तरण/2016/4 दिनांक : 25.10.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सम्बन्धित उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (विधि)(प्रथम/द्वितीय)
5. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर सम्भाग, जयपुर

आदेश क्रमांक : शिउनि/जय/मा/संस्था-1ए/फा-स्था./2016/04

दिनांक : 25.10.2016

-: कार्यालय आदेश :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	कहां से राउमावि/रामावि	जिला	कहां को राउमावि/रामावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	देवेन्द्र कुमार यादव	Clerk Gr.-I	बा. गण्डाला, बहरोड	Alwar	गण्डाला, बहरोड	Alwar



(रतन सिंह यादव)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। इन्हें नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 03.11.2016 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। संबंधित संस्था प्रधान स्थानान्तरित कार्मिक को यथासमय कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक, लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक तथा ऐसे कार्मिक, जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ हो, को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। प्रतिबन्धित जिला/टीएसपी एरिया में कार्यरत कार्मिकों का अप्रतिबन्धित जिला/नॉन टीएसपी एरिया में स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। कार्मिक का पद/विषय भिन्न अंकित होने पर भी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों का शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। उक्त कारणों से कार्यमुक्त नहीं किए जाने वाले कार्मिकों की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित की जाए। स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त पश्चात् अविलम्ब कार्यग्रहण करें।

कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण अनिवार्यतः शाला दर्पण के माध्यम से करावें। संस्था प्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।



(रतन सिंह यादव)

उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक:- शिउनि/जय/मा/संस्था-2/फा-72/2016/18

दिनांक : 25.10.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सम्बन्धित उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक (विधि)(प्रथम/द्वितीय)
5. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर

आदेश क्रमांक : शिउनि/जय/मा/संस्था-2/फा-72/2016/18

दिनांक : 25.10.2016

-: कार्यालय आदेश :-

क्रम	नाम कार्मिक	पद	विषय	कहां से राउमावि/रामावि	जिला	कहां को राउमावि/रामावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमृता छीपा	Sr.Teacher	SST	बडली, चाकसू	Jaipur	चतरपुरा, सांगानेर	Jaipur
2	बाबूलाल कसोटिया	Sr.Teacher	SST	आदेशो की प्रतीक्षा में शिउनि कार्यालय	Jaipur	लाखना, सांगानेर	Jaipur
3	कुसुमलता खण्डेलवाल	Sr.Teacher	Maths	जालसू	Jaipur	विमलपुरा, गो.ग.	Jaipur



(रतन सिंह यादव)

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर